



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042025-262461
CG-DL-E-15042025-262461

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1693]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 15, 2025/चैत्र 25, 1947

No. 1693]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 15, 2025/CHAITRA 25, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2025

का.आ. 1724(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1727 (अ) तारीख 16.04.2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा केरल राज्य के अलपुज़: जिले में एन एच 66 के कि.मी. 358.75 से कि.मी. 379.100 (अरूर - तुरवूर एलिवेटेड हाईवे), तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "25.04.2024" को "मलयाला मनोरमा" और "दी हिन्दू" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दें दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

केरल राज्य के अलपुज़्ज़: जिले में एन एच66 के कि.मी. 358.75 से कि.मी. 379.100 (अरूर - तुरवूर एलिवेटेड हाईवे) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: केरल			जिले का नाम: अलपुज़्ज़:		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: चेरथला					
गांव का नाम: जरूर (CT)					
1	418/4	निजी (प्राइवेट)	वेट	0.0034	गॉस्टीन पाली 418/30
2	४४/२	निजी	ड्राय	0.0019	राधाकृष्ण पिल्लै 44/25
3	४४/२	निजी	ड्राय	0.0003	पैथवे 44/26
4	४४/२	निजी	ड्राय	0.0101	अनिथा डी/ओ भार्गवी अम्मा 44/27
5	४४/२	निजी	ड्राय	0.0007	वलसलादेवी, डी/ओ भार्गवी अम्मा 44/28

गांव का नाम: ईजहुपुन्ना (कट)					
6	233/3	निजी (प्राइवेट)	ड्राई	0.0007	श्रीकुमार एस/ओ पद्मनाभा पिल्लै 233/33
7	233/3	निजी (प्राइवेट)	ड्राई	0.0016	विजयकुमार एस/ओ पद्मनाभा पिल्लै 233/34
8	233/3	निजी (प्राइवेट)	ड्राई	0.0016	श्रीकुमार सोन ओएफ पद्मनाभा पिल्लै 233/35
9	233/3	निजी (प्राइवेट)	ड्राई	0.0022	हरिसंकर एस/ओ राघवा मेनन 233/36
10	233/3	निजी (प्राइवेट)	ड्राई	0.0002	के आर् हरिसंकर एस/ओ राघवा मेनन 233/37
11	२३३/८	निजी	ड्राय	0.0014	हरीकुमार, भार्गवी अम्मा 233/57
12	२३३/८	निजी	ड्राय	0.0007	हरीकुमार, भार्गवी अम्मा 233/58
13	२३३/८	निजी	ड्राय	0.001	विजयन नैर प्रभाकरण पिल्लै 233/59
14	२३९/२	निजी	ड्राय	0.0139	एस् मोहनन 239/21
15	२३९/२	निजी	ड्राय	0.0024	गवर्नेंट 239/22
कुल योग				0.0421	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2025

S.O. 1724(E).— In whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S O 1727(E) dated 16.04.2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for building (Aroor-Thuravoor Elevated Highway), maintenance, management and operation of NH66 on the stretch of land from Km 358.75 to Km 379.100 (Aroor-Thuravoor section) in the district of ALAPPUZHA in the state of KERALA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Malayala Manorama” and “The Hindu” both dated 25.04.2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEUDLE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 358.75 to Km 379.100 (Aroor-Thuravoor section) on the National Highway No 66 in the district of ALAPPUZHA in the state of KERALA

State: KERALA		District: ALAPPUZHA			
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Cherthala					
Village: Aroor (CT)					
1	418/4	Private	Wet	0.0034	Augaustine Pali 418/30
2	44/2	Private	Dry	0.0019	Radhakrishna Pillai 44/25
3	44/2	Private	Dry	0.0003	Pathway 44/26
4	44/2	Private	Dry	0.0101	Anitha D/o Bhargavi Amma 44/27
5	44/2	Private	Dry	0.0007	Valsaladevi, D/o Bhargavi Amma 44/28
Village: Ezhupunna(CT)					
6	233/3	Private	Dry	0.0007	Sreekumar son of Padmanabha Pillai 233/33

7	233/3	Private	Dry	0.0016	Vijayakumar s/o Padmanabha Pillai 233/34
8	233/3	Private	Dry	0.0016	Sreekumar son of Padmanabha Pillai 233/35
9	233/3	Private	Dry	0.0022	K R Harisankar s/o Raghava Menon 233/36
10	233/3	Private	Dry	0.0002	K R Harisankar s/o Raghava Menon 233/37
11	233/8	Private	Dry	0.0014	Harikumar, Bhargavi Amma 233/57
12	233/8	Private	Dry	0.0007	Harikumar, Bhargavi Amma 233/58
13	233/8	Private	Dry	0.001	Vijayan Nair Prabhakaran Pillai 233/59
14	239/2	Private	Dry	0.0139	S Mohanan 239/21
15	239/2	Private	Dry	0.0024	Government 239/22
Total				0.0421	

[F. No. 11015/01/PIU-COCHIN/NH-66/A-TT/2022/3A/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director